

झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)
Phone: 0651-2401917, E-mail-dirjharkhandculture@gmail.com

पहुँक:- ५१२
दिनांक:- २३/१२/२०२१

निविदा आमंत्रण सूचना

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन के क्रम में आवश्यक स्थानीय परिवहन व्यवस्था निमित्त तथा निदेशक, संस्कृति/कार्यालय हेतु मासिक परिचालन पर आवश्यकतानुसार भाड़े पर वाहन लिये जाने निमित्त केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित फर्मों से ए०सी० एवं नॉन ए०सी० वाहनों के मासिक परिचालन, स्थानीय परिचालन एवं मुख्यालय से बाहर के परिचालन हेतु किराये के दर निर्धारण हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता, निविदाएँ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के तृतीय तल आगत निर्गत शाखा में स्वयं या अपने नामित प्रतिनिधि के द्वारा दिनांक-18.01.2022 को पूर्वा० 11.00 बजे तक समर्पित कर सकते हैं। निविदा की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट www.jharkhandculture.com पर उपलब्ध है। इस निविदा से संबंधित अनुवर्ती/ बाद की आवश्यक संशोधन आदि निदेशालय के वेबसाईट www.jharkhandculture.com पर ही उपलब्ध होगी। निविदा को किसी भी स्तर पर संशोधित, रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।


२३.१२.२१
निदेशक, संस्कृति
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)
Phone: 0651-2401917, E-mail: dirjharkhandculture@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन के क्रम में आवश्यक स्थानीय परिवहन व्यवस्था निमित्त तथा निदेशक, संस्कृति/कार्यालय हेतु मासिक परिचालन पर आवश्यकतानुसार भाड़े पर वाहन लिये जाने निमित्त केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित फर्मों से ए०सी० एवं नॉन ए०सी० वाहनों के मासिक परिचालन, स्थानीय परिचालन एवं मुख्यालय से बाहर के परिचालन हेतु किराये के दर निर्धारण हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

- इच्छुक निविदादाता, निविदाएँ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के तृतीय तल आगत निर्गत शाखा में स्वयं या अपने नामित प्रतिनिधि के द्वारा दिनांक-18.01.2022 को पूर्वा० 11.00 बजे तक समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। प्राप्त सभी निविदाओं को दिनांक-20.01.2022 अप० 2.00 बजे निविदा निष्पादन समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- निविदादाता को अलग-अलग बंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय बिड देना होगा। जिन निविदादाताओं का तकनीकी बिड निविदा निष्पादन समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं निविदादाताओं के वित्तीय बिड विचारणीय होंगे। निविदा का तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अलग अलग बंद लिफाफे में समर्पित करना होगा। तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग के लिफाफों पर सुस्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अंकित होना आवश्यक है। वित्तीय निविदा हेतु तीन प्रारूप निर्धारित हैं तथा निविदादाता को वित्तीय बिड अंतर्गत तीनों निर्धारित प्रारूप (I, II, एवं III) को भरकर जमा किया जाना है।
- बिना कारण बताये निविदा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संशोधित करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

(A) तकनीकी निविदा शर्तें :-

- 1- **अग्रधन :-** निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में सचिव, झारखण्ड कला मंदिर, राँची के पदनाम से 50,000/- (पचास हजार) रु० का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि सुरक्षित जमा रख लिया जायेगा एवं अनुबंध समाप्ति उपरांत बिना किसी ब्याज के वापस लौटाया जाएगा।
2. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर का अथवा प्रतिष्ठान का पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ प्रतिष्ठान का जी०एस०टी० नं० का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को एजेंसी का व्यावसायिक रूप से निबंधित होने का निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

★

1/1/

1/1/

5. निविदादाता को गत तीन आयकर निर्धारण वर्षों का यथा कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year), 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 अर्थात् क्रमशः Financial Years 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 का आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर विगत तीन वित्तीय वर्षों (Financial Years) यथा, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में औसत रूप से 10.00 लाख होना अनिवार्य है, जिसका Chartered Accountant के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र तथा ऑडिट रिपोर्ट की सत्यापित स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
8. **अनुभव :-** तकनीकी निविदा के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी अथवा लोक उपक्रम में भाड़े पर वाहन देने संबंधी न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. काली सूची में दर्ज नहीं :- निविदादाता द्वारा शपथ पत्र (नोटरी द्वारा) संलग्न करना होगा कि उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है।
10. निविदादाता को ज्वाइंट वेंचर्स की अनुमति नहीं है।
11. निविदादाता के पास वित्तीय बीड के प्रारूप I में अंकित वाहनों में कम से कम 01 (एक) वाहन स्वयं के नाम से व्यवसायिक रूप पंजीकृत होने संबंधित अभिलेख की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
12. घोषणा प्रारूप IV (शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(B) अनुबंध की अवधि (Duration of Contract) :-

अनुबंध की अवधि वर्तमान में तीन वित्तीय वर्ष (2021-22 शेष अवधि, 2022-23 और 2023-24) तक के लिए मान्य होगी तथा निदेशक, संस्कृति को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि पारस्परिक समझौते के आधार पर उक्त अवधि को उसी दर पर यथा निर्धारित शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।

(C) वित्तीय निविदा :-

1. निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड निर्धारित प्रारूप (I, II एवं III) में भरकर लिफाफे में समर्पित करना होगा।
2. वित्तीय बिड हेतु निर्धारित प्रारूप में दर भरकर रहित होना चाहिए। समय-समय पर सरकार द्वारा लागू कर अलग से देय होगा।

(D) निविदा की अन्य शर्तें :-

- i. झारखण्ड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित वाहन ही सफल एजेन्सी/आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- ii. सफल आवेदक/आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन जो 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुरानी हो, वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। चयनित एजेन्सी द्वारा मासिक परिचालन पर उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन के साथ निबंधन का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, वाहन का बीमा भुगतान की रसीद तथा अद्यतन पथकर भुगतान की रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- iii. भुगतान हेतु विपत्र में नियमानुसार जी0एस0टी0 के रूप में देय राशि का उल्लेख करना होगा।
- iv. ईंधन की आपूर्ति चयनित एजेन्सी को करना होगा।
- v. चालक का अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस (LMV का) होना चाहिए।



- vi. वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को अविलंब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था दो घंटों के अंदर करनी होगी। यदि आपूर्तिकर्ता वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा तो विभाग को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य एजेंसी से तत्काल भाड़े पर वाहन लें तथा उसका पूरा व्यय आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
- vii. वाहन उपयोग के दौरान वाहन चालक अथवा वाहन को किसी प्रकार की दुर्घटना से होने वाले क्षति का दायित्व राज्य सरकार/निदेशालय का नहीं होगा।
- viii. अनुबंध के समय आपूर्तिकर्ता को लिखित अंडरटेकिंग समर्पित करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा किया जायेगा।
- ix. सफल निविदादाता/एजेंसी को एकरारनामा संपादित होने के उपरांत अविलंब वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। यदि निविदादाता वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे तो उनका अनुबंध/एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा तथा उनकी अग्रधन राशि जमा कर ली जायेगी।
- x. वैसे निविदादाता जिनकी निविदा अस्वीकृत हो जाती है, को उनके द्वारा जमा अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
- xi. भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए। वाहन यांत्रिक रूप से सही होना चाहिए तथा सही तथा सुरक्षित दशा में होना चाहिए।
- xii. आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक वाहन का प्रतिदिन के प्रविष्टियों का लॉग बुक संधारण करना होगा (यथा आरंभ कि०मी० रीडिंग, अंत कि०मी० रीडिंग, कुल तय की गयी दूरी, आरंभ समय तथा अंत समय प्रतिदिन)। वाहन के प्रत्येक परिचालन पर चालक एवं वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर अंकित होना चाहिए।
- xiii. वाहन में किसी प्रकार की मरम्मत एवं रख-रखाव आपूर्तिकर्ता को स्वयं करनी होगी।
- xiv. वाहन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात चालक के जिम्मे होना चाहिए।
- xv. यदि कोई चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो आपूर्तिकर्ता को उसके स्थान पर अविलंब अन्य किसी चालक की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यदि दूसरे चालक द्वारा रिपोर्ट करने में विलंब होता है तो प्रति घंटा ₹०१००/- रुपये की दर से भुगतान में कटौती की जायेगी। यदि चालक द्वारा पूरे दिन में रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में पूरे दिन हेतु ₹० ५००/- रुपये की कटौती भुगतान में से की जायेगी।
- xvi. चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए। निदेशालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर चालक का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। चालक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- xvii. आपूर्तिकर्ता को चालक को कुछ नगद राशि सुलभ कराना होगा ताकि आकस्मिक परिस्थिति में वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर चालक द्वारा उसकी अविलंब मरम्मत करा ली जाय।
- xviii. वाहन के सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
- xix. वाहन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुलभ रहना चाहिए।

41

2/10

Qm

- XX. वाहन का उपयोग कार्यदिवसों के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर कार्यरत में अवकाश के दिन में भी किया जायेगा ।
- XXi. वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा बिना अनुमति के आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक अथवा वाहन को नहीं बदला जायेगा ।
- XXii. मासिक परिचालन हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन में सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का/ निदेशानुसार बोर्ड आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर लगाना होगा ।
- XXiii. वाहन में साफ तौलिया, रेडियो, कार परफ्यूम, मोबाईल चार्जर उपलब्ध रहना चाहिए तथा मानसून समय में वाहन में छाता की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए। आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। वाहन की आंतरिक साज-सजा यथा सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी का होना आवश्यक है।
- XXiv. प्रत्येक सप्ताह आपूर्तिकर्ता को वाहन में लगे तौलिया का धुलाई कराना होगा ।
- XXv. आपूर्तिकर्ता द्वारा भाड़े पर दिये गये वाहन सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, राँची के निदेशानुसार लगाये जायेंगे तथा बिना अनुमति के आपूर्तिकर्ता द्वारा वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा ।
- XXvi. चालक की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को चालक को बदलना होगा ।
- XXvii. वाहन के टायर, बैटरी, हेडलाइट, ब्रेक, ईन्डीकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरिज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
- XXviii. निदेशालय द्वारा निर्धारित मासिक किराया एवं उसपर देय करों के अलावे निविदादाता को अलग से किसी भी तरह की राशि देय नहीं होगी ।
- XXix. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में निदेशालय को विपत्र में से आवश्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
- XXX. बिना कारण बताये निविदा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संशोधित करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- XXXi. सभी प्रकार के टोल-टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जाएगी।
- XXXii. इच्छुक आवेदक के पास प्रारूप (I) में अंकित वाहनों में कम से कम 01 (एक) वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना आवश्यक है।

(E) भुगतान की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें

- आपूर्तिकर्ता को वाहनवार मासिक राशि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पिछले माह का विपत्र (लॉग बुक के साथ) प्रस्तुत करना होगा ।
- किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में निदेशालय को अधिकार सुरक्षित होगा कि संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरुद्ध रखे ।
- वाहनवार मासिक विपत्र से अनुमान्य आयकर तथा सरकार को देय करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी ।
- प्रत्येक माह का वाहन परिचालन का बेस किलोमीटर 1300 किलोमीटर होगा अर्थात् एक वर्ष में वाहन का कुल परिचालन 15,600 कि०मी० होगा। मासिक वाहन परिचालन में प्रत्येक माह हेतु निर्धारित बेस किलोमीटर के अतिरिक्त तय की गई दूरी का प्रति कि० मी० की दर से राशि देय होगी।

निदेशक, सांस्कृतिक।

वित्तीय बिड का प्रारूप (I) (मासिक परिचालन)

1. फर्म/संस्था का नाम :-
2. फर्म/संस्था का पता/दूरभाष संख्या :-
3. वित्तीय निविदा में नीचे अंकित विवरण अनुसार वाहन वार मासिक किराया (चालक के पारिश्रमिक, ईंजन ऑयल इत्यादि तथा ईंधन सहित) अंकित करना आवश्यक है ।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल नं० (निविदादाता द्वारा भरा जाना है)	कार्य दिवसों की संख्या	मासिक किराया दर (ईंधन तथा अन्य खर्चों सहित) (बेस किलोमीटर:- 1300 किलोमीटर)		1300 किलोमीटर के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर	
				AC	Non AC	AC	Non AC
1	2		3	4	5	6	7
1.	इनोवा		पूर्ण माह				
2.	इंडिगो eCS						
3.	एस एक्स - 4						
4.	टाटा जेस्ट						
5.	बोलेरो						
6.	मारुति डिजायर						
7.	टाटा सफारी स्ट्रोम						
8.	अरटिगा						
9.	स्कॉरपियो						
10.	सियाज						
11.	होंडा सिभिक						
12.	होंडा सिटी						
13.	महिन्द्रा Xylo						
14.	मारुति Eeco						
15.	टाटा बोल्ट						
16.	मारुति Swift						
17.	टाटा सुमो						

नोट :- जी०एसटी० अलग से नीचे अंकित करना होगा ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम
एवं हस्ताक्षर एवं फर्म/संस्था की सील

★

✓

✓

वित्तीय बिड का प्रारूप (II) (स्थानीय परिचालन)

1. फर्म/संस्था का नाम :-

2. फर्म/संस्था का पता/दूरभाष संख्या :-

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	04 घंटा तक या 40 कि०मी०		04 घंटा से अधिक एवं 08 घंटा तक या 80 कि०मी०		08 घंटा से अधिक एवं 12 घंटा तक या 120 कि०मी०		अतिरिक्त दर प्रति कि०मी० (120 कि०मी० से अधिक की स्थिति में)		अतिरिक्त दर प्रति घंटा (12 घंटा से अधिक की स्थिति में)	
		AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC
1.	इनोवा										
2.	इंडिगो eCS										
3.	एस एक्स - 4										
4.	टाटा जेस्ट										
5.	बोलेरो										
6.	मारुति डिजायर/टाटा टिगोर /होंडा अमेज										
7.	टाटा सफारी स्ट्रोम										
8.	अरटिगा										
9.	स्कॉरपियो										
10.	सियाज										
11.	होंडा सिभिक										
12.	होंडा सिटी										
13.	महिन्द्रा Xylo										
14.	मारुति Eeco										
15.	टाटा बोल्ट										
16.	मारुति Swift										
17.	टाटा सुमो										
18.	ऑडी										
19.	बी० एम० डब्लू०										
20.	विंगर/सवारी										
21.	बस (23 से 32 सीट)										
22.	मिनी बस (14 से 22 सीट)										
23.	कम सीट वाली मिनी बस (08 से 13 सीट)										
24.	बस (33-48 सीट)										
25.	बस (49 सीट)										

नोट :- जी०एस०टी० अलग से नीचे अंकित करना होगा ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम
एवं हस्ताक्षर एवं फर्म/संस्था की सील

51

121

9m

वित्तीय बिड का प्रारूप (III) (मुख्यालय से बाहर परिचालन)

1. फर्म/संस्था का नाम :-

2. फर्म/संस्था का पता/दूरभाष संख्या :-

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	न्यूनतम 200 कि०मी० / प्रतिदिन		300 कि०मी० / प्रतिदिन		अतिरिक्त दर प्रति कि०मी० यथा 201-299 कि०मी० तक के लिए		अतिरिक्त दर प्रति कि०मी० यथा 300 कि०मी० से अधिक रहने की स्थिति में		रात्रि विश्राम दर
		Rate Per KM		Rate Per KM		Rate Per KM		Rate Per KM		
		AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	AC	Non AC	
1.	इनोवा									
2.	इंडिगो eCS									
3.	एस एक्स – 4									
4.	टाटा जेस्ट									
5.	बोलेरो									
6.	मारुति डिजायर/टाटा टिगोर /होंडा अमेज									
7.	टाटा सफारी स्ट्रोम									
8.	अरटिगा									
9.	स्कॉरपियो									
10.	सियाज									
11.	होंडा सिभिक									
12.	होंडा सिटी									
13.	महिन्द्रा Xylo									
14.	मारुति Eeco									
15.	टाटा बोल्ट									
16.	मारुति Swift									
17.	टाटा सुमो									
18.	विंगर/सवारी									
19.	बस (23 से 32 सीट)									
20.	मिनी बस (14 से 22 सीट)									
21.	कम सीट वाली मिनी बस (08 से 13 सीट)									
22.	बस (33-48 सीट)									
23.	बस (49 सीट)									

नोट :- जी०एस०टी० अलग से नीचे अंकित करना होगा ।

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम
एवं हस्ताक्षर एवं फर्म/संस्था की सील

ky

Uhi

Gm

प्रपत्र-(IV)

निविदादाता के द्वारा घोषणा

1. मैंसंस्था / फर्म
..... के लिए इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने एवं निविदा डालने के लिए प्राधिकृत किया गया/गयी हूँ।
2. मैंने निविदा की शर्तों को भलीभाँति पढ़ा एवं समझा है एवं उक्त शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।
3. इस निविदा के समर्थन में मेरी संस्था के द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ सत्य है एवं इनके गलत पाये जाने पर मेरी निविदा को अस्वीकार किया जा सकेगा एवं मेरे एवं मेरी संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
4. कार्यादेश प्राप्ति के उपरांत यदि निविदा की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने की स्थिति में 15 दिनों का नोटिस देकर कार्यादेश को सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड सरकार के द्वारा रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक

स्थान

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम
एवं हस्ताक्षर एवं फर्म/संस्था की सील

नोट :- शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर